न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 06/2009/223 आर टी ए

1. सुमन उर्फ गोगा बेवा श्योपतराम जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जश्न पुत्री स्व. श्योपतराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन उर्फ गोगा जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. विक्रम पुत्र स्व. श्योपतराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन उर्फ गोगा जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. सावित्री बेवा दुलाराम जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत अयालकी जरिये सरपंच जगासिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
4. सुखराजसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. लाखनसिंह पुत्र सुखराजसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2007 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0सं0 30/2004 अनवानी सावित्री बनाम सुमन आदि

उपस्थित :–
श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांकः–11.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर कथन किया कि वादिया के पति दुलाराम का देहान्त हो चुका है तथा उसके पुत्र श्योपत जो अपीलांट के पति भी है, का देहान्त दिनांक 05.01.04 को हो चुका है। चक 20 जेआरके मे वादिया के पुत्र श्योपत के नाम 2.805 है0 व चक 18 जेआरके मे 1.625 है0 दर्ज थी जिसमे से श्योपत ने 0.899 है0 भूमि बैचान कर दी अब चक 18 जेआरके मे श्योपत का 2 बीघा 17 बिस्वा रकबा बचा है व चक 20 जेआरके तादादी

2.805 है0 है इस भूमि वादिया का प्रतिवादी सं. 1 ता 3 (अपीलांट) के साथ 1/4 हिस्सा है जिसकी घोषणा करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अपीलांट प्रतिवादी ने विस्तृत जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुए तथ्यो से इन्कार किया व कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद मे तनकीयात कायत की गई। पक्षकारान की साक्ष्य के उपरांत विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व हिन्दू कानून का सही परीप्रेक्ष मे विवेचन न करते हुए और बिना तनकीवार निर्णय पारित करते हुए मात्र वादिया के वकील द्वारा की गई बहस व नजीरे का हवाला देते हुए दिनांक 22.10.07 को निर्णय पारित करते हुए वादिया का वाद डिक्री कर दिया और प्रतिवादी अपीलांट का काउंटर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण मे वादी के वाद एवं प्रतिवादी के काउंटरक्लेम के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम की थी जिसमे तनकी सं. 9 अपीलांट के जवाबदावा मय कांउटर क्लेम के आधार पर खाता तकसीम का अनुतोष उनके हिस्सानुसार किये जाने की इस्तदुआ मात्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए व वादीगण का वाद पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अनुतोष प्रदान किया गया है परन्तु अन्य तनकीयात का कोई तनकीवार निर्णय नही किया गया है। दुलाराम को लगभग 50 बीघा भूमि विरासतन प्राप्त हुई थी दुलाराम के पास यह जायदाद उसे अपने पिता सुरजाराम से प्राप्त हुई थी इसलिये दुलाराम के पास यह जायदाद बतौर पैतृक सम्पति थी। सही तथ्य ये है कि मघाराम के दो पुत्र बालूराम व सुरजाराम थे जिन्हे विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई सुरजाराम के फौत होने पर विरासतन दुलाराम को प्राप्त हुई। बालूराम के फौत होने पर यह जायदाद उसके एक मात्र पुत्र हेतराम को प्राप्त हुईं हेतराम व दुलाराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का आपस मे विभाजन हो गया। विभाजन मे दुलाराम को 6.010 है0 भूमि प्राप्त हुई। दूसरी और चक 20 जेआरके मे जो इनकी जद्दी जायदाद 4.808 है0 थी उसमे बालूराम व दुलाराम बहिस्सा बराबर 5/6 हिस्सा व पूरा रावता पिसरान श्यामा 1/6 हिस्सा के हकदार थे। इन्होने अपना रकबा बालूराम व दुलाराम को अपना कुल हिस्सा तबादला मे देकर इनसे चक 6 एमजेडी मे तबादला प्राप्त कर लिया।तत्पश्चात चक 20 जेआरके मे बालूराम व दुलाराम ही बहिस्सा बराबर 10.815 है0 के अधिकारी हुए। बालूराम के फौत होने के बाद उसकी जायदाद का एक मात्र इन्तकाल उसके पुत्र हेतराम को आ गया। जिसका खाता तकसीम होने पर हेतराम पुत्र बालूराम व दुलाराम के पुत्र श्योपतराम का जद्दी जायदाद मानते हुए आपसी तकसीम हो गया। इस प्रकार हेतराम का खाता विभाजन होने के बाद चक 18 व 20 जेआरके दोनो मे श्योपतराम व उसके पिता दुलाराम दोनो जद्दी जायदाद होने के कारण रिकार्ड मे बहिस्सा बराबर के खातेदार हुए। दुलाराम की जायदाद की गणना विचारण न्यायालय ने गलत की है। चूंकि दुलाराम के मरने के बाद उसकी जायदाद के 6 हिस्सेदार यानि एक हिस्सा श्योपतराम, एक हिस्सा उसकी पत्नि सावित्री वादिया व चार हिस्से चारो लड़कियो करार पाई। चारो लड़कियो ने सावित्री देवी के नाम से त्याग पत्र दे दिया। इसलिये रिकार्ड मे दुलाराम के निस्फ हिस्से की जायदाद मे से 1/6 हिस्सा श्योपतराम व 5/6 हिस्सा सावित्रीदेवी को गलत दर्ज कर दिया।

4. जबकि हिन्दू कानून आर्टीकल 264 के मुताबिक दुलाराम से प्राप्त जायदाद निस्फ हिस्सा लड़कियो द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद सावित्री देवी 5/6हिस्सा की हकदार न होकर कुल खाता मे 1/4 हिस्सा यानि 46 बीघा 6 बिस्वा कुल जायदाद मे से 11.12 बीघा की हकदार थी शेष जायदाद का एक मात्र श्योपतराम अधिकारी कानून था। इस प्रकार श्योपतराम के नाम 34 बीघा 14 बिस्वा रकबा बाकी बचा। चूंकि खाता मुश्तर्का था और श्योपतराम अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मेल मेम्बर होने के कारण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर्ता खानदान था जिसे वादिया ने भी दावा मे स्वीकार किया है इसलिये श्योपतराम एवं सावित्री दोनो ने मिलकर सुखराजसिंह रेस्पो0 को 1.404 है0 व लाखासिंह को 2.404 है0 चक 18 जेआरके दोनो मिलाकर 3.808 है0 यानि 15.01 बीघा रकबा घरू जरूरत जायज हेतु विक्रय कर दिया। शेष 3.101 यानि 12 बीघा 05 बिस्वा रकबा बाकी बचा। जिसमे सावित्रीदेवीर का मात्र 1/4 हिस्सा यानि 3 बीघा 1 बिस्सा रकबा ही कथित विक्रय के बाद शेष बचा। जबकि उसका चक 18 जेआरके मे 1.476 है0 यानि 5 बीघा 17½ बिस्वा दर्ज है जो गलत है। इसी प्रकार चक 20 जेआरके तादादी 4.808 है0 यानि 19 बीघा रकबा दर्ज रिकार्ड है जिसमे श्योपतराम का 2.805 है0 व सावित्री का 2.003 है0 रकबा दर्ज है जबकि उसका रकबा 4.15 बीघा ही इस खाता मे उसका हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए था। सावित्री ने इस 4.15 बीघा के वास्तविक हिस्से मे 0.949 है0 रकबा स्वयं अकेली ने श्योपतराम के मरने के बाद अपने हिस्से मे से भूरसिंह को विक्रय कर दिया यानि 4.15 बीघा कुल हिस्सा मे से 3.15 बीघा विक्रय करने के पश्चात मात्र 1 बीघा रकबा उसका शेष बचा। दोनो खातो मे श्योपतराम का रकबा विक्रय के पश्चात चक 18 जेआरके मे 2.316 व चक 20 जेआरके मे 3.606 है0 कुल 5.922 है0 बाकी बचा। श्योपतराम के एक पुत्र एक पुत्री उसकी बेवा सुमन व माता सावित्री देवी को 1/4 हिस्सा 1.480 है0 रकबा विरासतन और प्राप्त हुआ। शेष 4.442 है0 रकबा अपीलांट का विक्रय के बाद शेष रहा। जिसके अपीलांट कानूनी हकदार है। जहां तक मृतक श्योपतराम के हिस्से मे वादिया का 1/4 हिस्सा होने का संबंध है, कोई विरोध नही है। गणतीय गणना की त्रुटि व हिस्साकसी विरासतन के संबंध मे अपीलीय अदालत के समक्ष एतराज पेश करने मे कोई मियाद का प्रश्न भी नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर किया कि वादिया के पति दुलाराम का देहान्त हो चुका है तथा उसके पुत्र श्योपत जो अपीलांट के पति भी है, का देहान्त दिनांक 05.01.04 को हो चुका है। चक 20 जेआरके मे वादिया के पुत्र श्योपत के नाम 2.805 है0 व चक 18 जेआरके मे 1.625 है0 दर्ज थी जिसमे से श्योपत ने 0.899 है0 भूमि बैचान कर दी अब चक 18 जेआरके मे श्योपत का 2 बीघा 17 बिस्वा रकबा बचा है व चक 20 जेआरके तादादी 2.805 है0 है। वादिया अपने पुत्र श्योपतराम की मां होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिस है वादिया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 हिन्दू उत्तराधिकार विधि से शासित होते है। परस्पर सअंशधारी है। इस भूमि वादिया का प्रतिवादी सं. 1 ता 3 (अपीलांट) के साथ 1/4 हिस्सा है जिसकी घोषणा करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अपीलांट ने गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। कानूनन हिन्दू विधि के तहत भी वादिया अपने पुत्र स्व. श्योपतराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है। अपीलांट ने ग्राम पंचायत से गलत वारिसनामा मे रेस्पो0 सं. 1 का नाम न जोड़कर श्योपतराम के नाम दर्ज आराजी को नाजायज फायदा उठाते विरास्तन इंतकाल अपने नाम दर्ज कराने के लिए तत्पर थी जिसके कारण रेस्पो0 सं. 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 सावित्री के पति दुलाराम के नाम से दर्ज थी जो दुलाराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान रेस्पो0 सं. 1 व पुत्र श्योपतराम के नाम दर्ज हुई। श्योपतराम के फौत होने के उपरांत श्योपतराम के नाम दर्ज भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 प्रथम श्रेणी का वारिस मानते हुए अपीलांट के साथ साथ रेस्पो0 सं. 1 को 1/4 हिस्सा की हकदार होने के कारण घोषणा करवाने के साथ ही खाता तकसीम करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया स्वीकार करते हुए स्व. श्योपत की भूमि मे वादिया व प्रतिवादी सं. 1 ता 3/अपीलांटस को बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पति/पिता एवं रेस्पो0 सं. 1 के पुत्र स्व. श्योपतराम के नाम दर्ज है जिसमे श्योपतराम की मृत्यु होने के पश्चात उसके विधिक वारिसान यानि अपीलांटस के साथ उसकी माता प्रथम श्रेणी की वारिस होने की हैसियत से हक व हिस्सा रखती है तथा इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.12.2007 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 06/2009/223 आर टी ए

1. सुमन उर्फ गोगा बेवा श्योपतराम जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जश्न पुत्री स्व. श्योपतराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन उर्फ गोगा जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. विक्रम पुत्र स्व. श्योपतराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन उर्फ गोगा जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. सावित्री बेवा दुलाराम जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत अयालकी जरिये सरपंच जगासिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
4. सुखराजसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. लाखनसिंह पुत्र सुखराजसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2007 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0सं0 30/2004 अनवानी सावित्री बनाम सुमन आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलांट, श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 एवं श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.12.2007 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 11.09.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ